अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

08

01.06.2023

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 18 /2023

राज्य

बनाम

दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची (झारखण्ड) ....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 216/डी०सी०बी० दिनांक 28.02.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. तमाड़ थाना काण्ड सं0–96/13, दिनांक 29.08.2013 धारा–395/397 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
2. बुण्डू थाना काण्ड संख्या 86/19 दिनांक 27.09.2019 धारा 399/402/414/120 (बी०) भा० द० वि० एवं 25 (1–बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट ।
3. तमाड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या–26/23 दिनांक–07.02.2023
4. तमाड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या–15/23 दिनांक– 11.02.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–243/2023 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। वे एक शातीर आद्तन असमाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

इनके डर से कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाते है। इनके विरूद्ध और कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं हो रही है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी गरीब परिवार से आते हैं, एवं किसी तरह खेती बाडी कर अपना जीवन यापन करते हैं। विपक्षी शांतिप्रिय व्यक्ति है एवं किसी भी अपराध में इनकी संलिप्तता नहीं है। विपक्षी के अलावे उनके वृद्ध माँ–पिताजी की देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। विपक्षी के परिवार में अपराधिक इतिहास अब तक किसी भी प्रकार का नहीं है तथा विपक्षी एक चरित्रवान व्यक्ति है। विपक्षी पूर्ण रूप से पुलिस को शांति बनाए रखने में सहयोग करेगे एवं किसी भी ऐसी घटना में संलिप्त नहीं होगें जिससे राज्य कि शांति में बाधा आए। विपक्षी खेतीबारी करके अपनी आजीविका चलाते हैं एवं प्रतिदिन थाने में हाजरी देने में असमर्थ है क्योंकि इसी खेतीबारी से उनका पूरा परिवार का लालन–पालन होता है एवं पूरा परिवार इनके उपर आश्रित है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा सिर्फ अपने बचाव मे दिया गया है, जो संतोषप्रद नही है। विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। वे एक शातीर आदतन असमाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए तमाड़ थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रत्येक रविवार तमाड़ थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति दुबराज मुण्डा, पिता चन्द्रमोहन मुण्डा, निवासी ग्राम–पुन्डीदीरी डीम्बरा, थाना – तमाड़, जिला – रॉची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 14:30:38 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d